परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय , बीकानेर

क्रमांक:स्केराकृविवि/परीक्षा/ग्रुप.4/2025 / 5185-87 दिनांक 03.07.2025

खुली निविदा सूचना

परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा **वर्ष 2025-26** हेतु **कम्प्यूटर कार्यों के निष्पादन हेतु उच्च कुशल श्रमिकों की आपूर्ति** के लिए **मोहरबंद निविदाएं** आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक पात्र सेवा प्रदाता संस्थाएं निर्धारित प्रपत्र पर निविदा प्रस्तुत कर सकती हैं। निविदा का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

कार्य का विवरण	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत (रू.)	निविदा शुल्क (रू.)	धरोहर राशि (रू.)	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि	निविदा खुलने की तिथि
कम्प्यूटर कार्य हेतू उच्च कुशल श्रमिक	06	9.80 लाख	500.00	19,600.00	15.07.2025 दोपहर 12.00 बजे तक	15.07.2025 अपरान्ह 2.00 बजे तक	15.07.2025 अपरान्ह 3.00 बजे

निविदा प्रपत्र निविदा शुल्क रु. 500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट **परीक्षा नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर** के नाम देय प्रस्तुतकर दिनाँक 04.07.25 प्रातः 11.00 बजे से 15.07.2025 को 12.00 बजे तक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता हैं अथवा पोर्टल से डाउनलोड करने पर प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क रु. 500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

आंशिक या पूर्ण निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित हैं। निहित समय तथा तारीख के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा। किसी कारणवश निम्नांकित तिथियों को राजकीय अवकाष धोषित होने पर अगला कार्य दिवस मान्य होगा।

03/7/25
परीक्षा नियंत्रक
Controller of Examinations
Swami Keshwanand
Rajasthan Agricultural University
Bikaner

प्रतिलिपिः-

1. श्रीमान् वित्त-नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. प्रभारी अधिकारी, सिमका स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को विश्व विद्यालय एवं लोक उपायन की वेब साईट पर जारी करावे।
3. सूचना पट्ट, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।

03/7/25
परीक्षा नियंत्रक
Controller of Examinations
Swami Keshwanand
Rajasthan Agricultural University
Bikaner

परीक्षा नियंत्रक कार्यालय
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय , बीकानेर

कम्प्यूटर कार्य हेतु नियम व शर्तें
(निविदादाताओं से अनुरोध है कि निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा की समस्त नियम, शर्तों व निविदा प्रपत्रों का पूर्ण अध्ययन कर लें)

1. कम्प्यूटर कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु दर अनुबंध, अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 31 मार्च 2026 तक के लिये मान्य होगा जिसे कार्य सन्तोषजनक पाए जाने की स्थिति में आपसी सहमति से विश्वविद्यालय के नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
2. निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि तथा निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में निविदा पूर्णतः निरस्त कर दी जायेगी।
3. निविदादाता का राज्य कर विभाग/जी.एस.टी/पी.एफ. एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा के साथ इसके प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। निर्णायक स्थिति में इन प्रमाणों का मूल प्रतियों से सत्यापन किया जाएगा।
4. निविदादाताओं को किसी राजकीय विश्वविद्यालय /राजकीय विभाग/राजकीय बोर्ड/षिक्षा बोर्ड या समकक्ष शैक्षणिक/प्रशासनिक संस्थाओं में इसी प्रकार की सेवा प्रदान करने का गत पाँच वर्षो में कम से कम 2 वर्ष का एकल अनुभव होना चाहिए।
5. निविदादाता द्वारा आधार कार्ड व आयकर विभाग से जारी पैन कार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
6. निविदा के साथ निविदा कार्य लागत के 2 प्रतिशत के बराबर की राशि बोली प्रतिभूति (bid security) के रूप में **परीक्षा नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर** के नाम बैंकर चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। राजस्थान में पंजीकृत एस.एस.आई फर्मो के लिए प्रतिभूति राशि का आधा (1/2) प्रतिशत देय है। इस लाभ हेतु फर्म को निदेषक उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर से कम्प्यूटर कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
7. निविदा के साथ प्रस्तुत निविदा/शर्तों का नियम आदि सहित समस्त प्रमाण व संलग्नक स्वप्रमाणित(Self-Attested) होने चाहिए। जिसमें हस्ताक्षर के साथ-साथ फर्म की मोहर (Stamp) लगी होनी चाहिए।
8. निविदादाता को निविदा के साथ निम्नानुसार अपने बैंक का विवरण भी देना होगा:-
   अ. बैंक व शाखा का पूर्ण नाम व पता:-
   ब. बैंक खाता संख्या:-
   स. बैंक का IFSC कोड नम्बर:-
   द. बैंक खाते का प्रकार (सेविंग/करंट):-
9. निविदादाता को रू. 100/- के नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र देना होगा कि "फर्म/संस्था किसी भी विभाग राजकीय/सार्वजनिक विभाग/उपक्रम से काली सूची में नहीं है एवं फर्म/ संस्था के विरूद्ध कोई राजकीय बकाया नहीं है तथा फर्म/संस्था निविदा की शर्तों का पूर्ण पालन करेगी। फर्म द्वारा नियमों व शर्तो के उल्लघंन पर फर्म नियमानुसार पेनल्टी की भागी होगी।
10. कम्प्यूटर कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक को राज्य सरकार द्वारा देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान विश्वविद्यालय करेगा। (ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई. का नियोक्ता का अंशदान भारत सरकार के नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा देय होगा)।

हस्ताक्षर निविदादाता
एवं रबर मोहर

03/7/2025
परीक्षा नियंत्रक

11. कम्प्यूटर कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु सेवा प्रदाता से अनुबंध होने के पश्चात भी उच्च कुशल श्रमिक की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

12. उपलब्ध करवायी जा रही सेवाओं हेतु रखे गये उच्च कुशल श्रमिकों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार या इनके अधीनस्थ विभागों की पी.एफ., ई.एस.आई. या अन्य कोई राशि देय होती है तो उसका भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा ही किया जाएगा। गत भुगतान के दस्तावेज आगामी भुगतान से पूर्व परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें। सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि अनुबंध की अवधि में श्रम कानून की पूर्णतः पालना हो।

13. सेवा प्रदाता के कम्प्यूटर कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक हेतु प्रस्तुत प्रथम बिल/बिलों के सम्पूर्ण भुगतान को विश्वविद्यालय द्वारा ''रिस्क कवरेज'' के रूप में जमा किया जायेगा। इस राशि का भुगतान बिना ब्याज के सेवा अवधि का कार्य सन्तोषजनक पूर्ण होने के पश्चात किया जायेगा।

14. सेवा प्रदाता सेवाओं को किसी अन्य व्यक्ति/फर्म अथवा सेवा प्रदाता को हस्तान्तरित या सबलेट नहीं कर सकेगा अन्यथा उसके अनुबंध को निरस्त कर निविदा सुरक्षा राशि व रिस्क कवरेज जब्त कर ली जावेगी।

15. कम्प्यूटर कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक को समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार आदि के अन्तर्गत देय न्यूनतम पारिश्रमिक/वेजेज, सवैतनिक अवकाश एवं अन्य वैधानिक भुगतान की समस्त जिम्मेदारी भी सेवा प्रदाता की ही होगी व विश्वविद्यालय आवश्यकता पड़ने पर कभी भी आवश्यक दस्तावेजों की मांग कर सकता है, जो उपलब्ध कराने होगें।

16. सेवा प्रदाता द्वारा समय पर कम्प्यूटर कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति की वसूली प्रति उच्च कुशल श्रमिक राशि का 110 प्रतिशत के आधार पर संबंधित कार्यालय द्वारा मासिक बिल से वसूल की जावेगी।

17. सेवा प्रदाता कार्य आदेश जारी होने पर जिस तिथी से कम्प्यूटर सम्बन्धित कार्य करवाया जाना है, उस तिथी से उक्त कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध करवाने आवश्यक होगें। अन्यथा प्रति दिवस 1000 रूपयें जुर्माना किया जायेगा, जो सेवा प्रदाता के बिलों या प्रतिभूति राशि से वसूल किया जाएगा।

18. जॉब कार्य हेतु अनुमोदित राशि का भुगतान सेवा प्रदाता को ही किया जावेगा। सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त उच्च कुशल श्रमिक इस कार्यालय से किसी भी प्रकार के भुगतान दावा मांगने के अधिकारी नहीं होगें। इन्हें किसी भी प्रकार के दावे या भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा ही देय होंगे।

19. संवेदक द्वारा नियोजित उच्च कुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जाएगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित उच्च कुशल श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। उच्च कुशल श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टी होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जाएगा।

20. सेवा प्रदाता को अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त उच्च कुशल श्रमिकों को नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा करवाना होगा। जिसमें नियोजित उच्च कुशल श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे उच्च कुशल श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जाएगा।

21. उक्त कार्य हेतु उपलब्ध करवाए गये किसी भी उच्च कुशल श्रमिक के कार्य छोड़ने की स्थिति में भी सेवा प्रदाता को तुरन्त दूसरा उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध करवाना होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
एवं रबर मोहर

02/7/25
परीक्षा नियंत्रक

22. उपलब्ध करवाये गये उच्च कुशल श्रमिक के किसी गैर जिम्मेदाराना या गैर कानूनी कार्य जैसे (चोरी, अश्लीलता, नशा, जुआ आदि) में लिप्त पाये जाने पर उस उच्च कुशल श्रमिक की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता ऐजेन्सी की होगी। ऐसे उच्च कुशल श्रमिक के विरूद्ध की गई किसी प्रकार की कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही पर देय क्षतिपूर्ति का भुगतान भी सेवा प्रदाय एजेन्सी द्वारा ही देय होगा।

23. सेवा प्रदाता एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि कम्प्यूटर कार्य हेतु उपलब्ध करवाये जा रहे व्यक्ति का चाल-चलन व चरित्र अच्छा हो। कार्य के दौरान किसी उच्च कुशल श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना घटित होने पर उसके ईलाज व अन्य समस्त हरजाने के भुगतान आदि की जिम्मेदारी संबंधित सेवा प्रदाय ऐजेंसी की होगी।

24. अनुमोदित सेवा प्रदाता को उनके द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे उच्च कुशल श्रमिक की सूची उपलब्ध करवानी होगी जिसमें निम्न प्रारूपनुसार पूर्ण जानकारी देनी होगी -

क्र.स.	उच्च कुशल श्रमिक का नाम	पूर्ण पता	मोबाईल नं.	आधार कार्ड नं.	बैंक का नाम व ब्रान्च	खाता संख्या	नवीनतम फोटा
1	2	3	4	5	6	7	8

25. निविदा सूचना में वर्णित विवरण व RTPP ACT & RULES पात्रता पूरी करने वाले योग्य बोलीदाता ही उक्त निविदा के लिए पात्र होंगे।

26. सफल बोली दाता को नियमानुसार उनके द्वारा प्रस्तुत दरों के आधार पर सम्पूर्ण कार्य के एक वर्ष की राशि का **2.5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि (Bid Performance Security)** के रूप में रूपये 500 के नानज्युडिशियल स्टांप (NJS) पर अनुबंध के साथ प्रस्तुत करनी होगी। उक्त प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी। ईएमडी राशि का समायोजन कर लिया जाएगा।

27. सफल बोली दाता द्वारा प्रतिभूति राशि व अनुबंध पत्र दर स्वीकृति आदेश की दिनांक से निर्धारित समयावधि (15 दिवस) में प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उनकी निविदा सुरक्षा राशि जब्त की जा सकेगी।

28. सफल बोलीदाता से अनुबंध करने से पूर्व उनके मूल लाइसेन्स का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

29. सफल सेवाप्रदाता को अनुबंध के साथ विश्वविद्यालय में एक अंडरटेकिंग (100 रूपये के नॉन ज्युडिषियल स्टाम्प पेपर पर) अनिवार्य रूप से जमा करवाकर कार्य बिल प्रतिमाह प्रथम कार्य दिवस पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

30. प्रस्तुत किए गए बिलों से वैद्यानिक कटौतियॉ टी.डी.एस., जी.एस.टी., व अन्य टैक्स की वसूली नियमानुसार की जाएगी।

31. उपलब्ध करवाये गये उच्च कुशल श्रमिकों के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो प्रतिलिपि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में उपलब्ध करवाना आवश्यक है।

32. कम्प्यूटर कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों का सेवा प्रदाता एजेन्सी को उनका प्रमुख नियोक्ता **(Principal Employer)** माना जावेगा। किसी भी प्रकार के सामान्य या न्यायिक विवाद के लिए सेवा प्रदाता एजेन्सी ही जिम्मेदार होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता
एवं रबर मोहर

03/7/25
परीक्षा नियंत्रक

33. अनुबंधित सेवा प्रदाता द्वारा सन्तोषजनक सेवाएं प्रदान न करवाने या सेवा प्रदान करवाने में असफल रहने की स्थिति में उनकी सेवायें निरस्त करते हुए सुरक्षा राशि व रिस्क कवरेज राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त करते हुये निविदादाता की रिस्क व कास्ट पर द्वितीय न्यूनतम दरदाता फर्म या अन्य एजेन्सी से उक्त कार्य की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सेवा प्रदाय एजेन्सी की होगी ।

34. विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध बिना किसी कारण बतायें भी निरस्त किया जा सकता है । किन्तु ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि लौटा दी जाएगी ।

35. सेवा प्रदाता द्वारा दी जा रही सेवाओं का बिल प्रत्येक माह की एक तारीख को संबंधित कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसका भुगतान कार्यालय द्वार सेवा प्रदाता के बैंक खाते में होगा ।

36. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत शर्त/सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।

37. समस्त कानूनी कार्यवाही किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने कि स्थिति में बीकानेर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भी करनी होगी, अन्य न्यायालय में नहीं।

38. सेवा अनुबंध अवधि में किसी प्रकार के विधि वाद की समस्त जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।

39. अपील अधिकारी

अ. प्रथम अपील अधिकारी - कुलपति, स्वाकेराकृविवि, बीकानेर

ब. द्वितीय अपील अधिकारी - शासन सचिव कृषि विभाग, जयपुर

40. निविदादाता यह सुनिष्चित करेगा कि निविदा के साथ चाहे गये प्रमाण पत्र व शुल्कों के प्रमाण उपलब्ध करवा दिये गये है।

41. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी,/स्पष्टीकरण निविदा प्रकाषन के सात दिवस में किसी भी कार्य दिवस या कार्यालय समय पर परीक्षा नियत्रंक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

42. अ. निविदा दाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा जमा करने से पूर्व निविदा संबंधी समस्त नियमों/षर्तों व निविदा प्रपत्रों को पूर्ण अध्ययन कर लें।

ब. निविदा जमा करने से पूर्व निविदादाता समस्त निविदा प्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षर व फर्म की मोहर अंकित करेगा।

43. उपरोक्त उल्लेखित शर्तो के अलावा सेवा प्रदाता पर RTPP ACT RULES 2013 व RTPP ACT RULES 2012 के अनुरूप सभी नियम, धाराएं,/उपधाराएं लागू होगी।

44. माननीय कुलपति/निम्न हस्ताक्षरकर्ता को निविदा या निविदा के किसी भी भाग को स्वीकार या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

45. वितीय प्रस्ताव में एक से अधिक निविदा दाताओं की समान दरें प्राप्त होती हैं तो उस स्थिति में विश्वविद्यालय गुणावगुण के आधार पर एक योग्य निविदादाता का चयन करेगा एवं कार्य आबंटन किया जाएगा जिसे सभी निविदा दाताओं को स्वीकार्य होगा।

46. निविदादाता का राजस्थान राज्य का मूल निवासी एवं राजस्थान राज्य में उसका स्थाई कार्यालय होना चाहिए।

47. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

48. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रुप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता
एवं रबर मोहर

परीक्षा नियंत्रक

49. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Board लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिको हेतु भ्मसचसपदम नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रुप से अंकित किया जायेगा।

50. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिक्ति रुप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रुपसे संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरुप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

51. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उतरदायी होगा।

52. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक ;नियमन एवं उन्मूलनद्ध अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।

53. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औघोगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

54. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्धटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

55. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती हैं तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रुप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को क्मइंत कराने की कार्यवाही करेगी।

56. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती हैं तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रुप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

57. समयावधि बढाने व घटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

58. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उच्च्च कुशल श्रमिकों (कंप्युटर ऑपरेटर) को समस्त कंप्यूटर आधारित कार्य विशेषकर MS-Word, Excel, Data Feeding, Scan & Printing, Formatting, Typing आदि अपेक्षित रहेंगे तथा इस कार्य में निपूर्णता आवश्यक है।

हस्ताक्षर निविदादाता
एवं रबर मोहर

03/7/25
परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय , बीकानेर

निविदा

1- Name and Address of Bidder :-

क्रं सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	GST की राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**कम्प्यूटर कार्यों के** निष्पादन हेतु उच्च कुशल **श्रमिकों की** आपूर्ति	06	रू. 359/- प्रति दिन 9334/- प्रति माह		12%	3.25%			

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में समुचित प्रविष्टियां ही बोलीदाता द्वारा भरी जा सकेगी) (निविदा दरें उपरोक्त दी गई सारणी में अंकित करें)

शून्य/ऋणात्मक दरें या पैसो में दरें स्वीकार नहीं की जायेगी। जिनकी दरें शून्य/ऋणात्मक/पैसो में होगी वे अपात्र होगें।

Note: -

1- Total amount includes service charges, GST, ESI, EPF and all other Charges/taxes/financial liabilities payable by the contract holder.

2- The rates quoted in above bid will be treated as final.

Signature of Bidders with Seal

Controller of Examination

Controller of Examinations
Swami Keshwanand
Rajasthan Agricultural University
Bikaner

परीक्षा नियंत्रक कार्यालय
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय , बीकानेर

खुली निविदा सूचना 01/2025 दिनांक: 03.07.2025

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा कम्प्यूटर कार्य हेतू उच्च कुशल श्रमिक की आवश्यकता हेतू मोहरबन्द निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। जिसका पूर्ण विवरण एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.raubikaner.org व www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

03/7/25

परीक्षा नियंत्रक